**मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित**
**कार्मिक विभाग, मुख्यालय**
**भोपाल.**

क्र.लउनि / कार्मिक / न.क्र.463 / 2016 / 1109 भोपाल, दिनांक 26-11-2016

# विज्ञापन

निगम द्वारा निःशक्तजनों हेतु आरक्षित कनिष्ठ लेखापाल के 04 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 12 / 12 / 2014 को प्रकाशित किया गया था । निगम की वर्तमान गतिविधियों, कार्य प्रणाली, भण्डार क्रय नियमों में संशोधन होने एवं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विज्ञापन दिनांक 12 / 12 / 2014 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । इस संबंध में आदेश निगम की वेबसाईट www.publish.mplun.org. पर देखा जा सकता है ।

प्रबंध संचालक

128 Ord-2016

**मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित**
**कार्मिक विभाग, मुख्यालय**
**भोपाल.**

क्र.लउनि/कार्मिक/न.क्र.463/2016/ 1108 भोपाल, दिनांक 26-11-2016

## आ दे श.

निगम द्वारा वर्ष 2014 में निःशक्तजन हेतु चिन्हांकित किये गये 04 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 12/12/2014 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था एवं इस हेतु आवेदन मध्यप्रदेश कंसलटेन्सी आर्गनाईजेशन, भोपाल के माध्यम से प्राप्त किये गये । मध्यप्रदेश कंसलटेन्सी आर्गनाईजेशन, भोपाल द्वारा तैयार लिस्ट अनुसार पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी लिया गया था । चूंकि निःशक्तजनों हेतु पदों का चिन्हांकन मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित हेतु प्रत्येक श्रेणी में दो–दो प्रतिशत आरक्षण के मान से किया जाना है, अतः पदों की नियमानुसार पुनः गणना की कार्यवाही की जा रही है ।

निःशक्तजनों हेतु चिन्हांकित पदों के अनुमोदन सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जा रही है । सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत प्राप्त होने पर एवं पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर भविष्य में पद पूर्ति की कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त विज्ञापन जारी किये हुए अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका है । इस दौरान निगम की गतिविधियों, कार्य प्रणाली, भण्डार क्रय नियमों में संशोधन होने एवं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयों के उपरान्त निम्न कार्यवाहियां की गई हैं/की जा रही हैं :–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित निगम की समीक्षा बैठक में निगम के ''संपदा एवं निर्माण विभाग'' को बन्द कर वाइन्डअप करने के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,म.प्र.शासन द्वारा आदेश क्र.एफ.6–16/2016/अ–तिहत्तर दिनांक 23/07/2016 जारी किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा भण्डार क्रय नियमों में संशोधन कर ऑन लाईन इण्डेन्टिंग प्रारंभ की गई है जिससे उक्त गतिविधि में कार्य काफी कम होने के फलस्वरूप अमले की आवश्यकता में कमी हुई है ।
3. निगम की समीक्षा के दौरान लिये गये निर्णयानुसार निगम के सभी क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर को बन्द किया जा चुका है ।
4. निगम के मृगनयनी एम्पोरियमों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है जिसके अनुसार मृगनयनी म.प्र.एम्पोरियम, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा आदि हानि प्रदर्शित कर रहे है ।
5. निगम के कच्चा माल भंडार, इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर की समीक्षा में कच्चा माल भंडार इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर को बन्द किया जाना विचाराधीन है ।

उपरोक्त सभी तथ्यों/स्थितियों से स्पष्ट है कि वर्तमान में निगम के अंतर्गत निःशक्तजन हेतु पूर्व मे चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पुनः समीक्षा कर चिन्हांकन किया जाना प्रक्रियाधीन है । अतः निगम की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 12/12/2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है । भविष्य में निगम की स्थिति स्पष्ट होने के उपरान्त पुनः समीक्षा कर कार्यवाही की जावेगी ।

प्रबंध संचालक

142 Ord-2016